मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 259/2018 वाद

मनोज कुमार पिता मक्खनलाल अग्रवाल, आयु 52 साल, निवासी केली।
– वादी

//बनाम//

1. ओमप्रकाश पिता मक्खनलाल अग्रवाल आयु वयस्क, निवासी केली।
2. ज्ञानमल पिता मक्खनलाल अग्रवाल, आयु वयस्क, निवासी केली।
3. शंकरलाल पिता मक्खनलाल अग्रवाल, आयु वयस्क, निवासी केली।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 रा0का0अधि0

प्रकरण में दिनांक 24.10.2018 को न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/19/538 दिनांक 13.09. 2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रश्नगत आराजीयात वाके मौजा केली की खाता संख्या 38 की आराजी नं. 356 का विभाजन फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है–

1– मनोज कुमार पिता मक्खनलाल अग्रवाल, सा. देह के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
356 में से मध्य	0.0500	0.17

2– ज्ञानमल पिता मक्खनलाल अग्रवाल, सा. देह के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
356 में से उत्तर	0.0500	0.18

3– ओमप्रकाश, शंकरलाल पिता मक्खनलाल अग्रवाल, सा. देह के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
356 में से दक्षिण	0.1000	0.35

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 11.02.2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 15:06:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: